भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1105**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाला विवाह और अल्‍प आयु में प्रसव**

**1105. श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्‍मी:**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या बाल विवाह और अल्‍प आयु में प्रसव की समस्‍या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत गंभीर है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विकास योजनाओं, जागरुकता कार्यक्रमों तथा विनियामक उपायों के माध्‍यम से ऐसी प्रवृत्‍तियों को पूर्णतया बदलने के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री

(क) और (ख) : भारत सरकार देश में बाल विवाह के प्रचलन को लेकर चिंतित है तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 अधिनियमित किया है। चूंकि बाल विवाह से संबंधित मुद्दे की जड़ें गरीबी, सामाजिक-सांस्कृतिक सोच से जुड़ी हुए हैं, इसलिए इस प्रथा के बुरे प्रभावों को उजागर करते हुए अभियान चलाकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। यह एक सतत प्रक्रिया है तथा सरकार इस समस्‍या को दूर करने के लिए मीडिया अभियान तथा अभिगम कार्यक्रम संचालित करती है।

बाल विवाहों को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की सरकारों द्वारा भी अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें राज्‍य, जिला एवं मंडल तथा ग्राम स्‍तर पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, शुभ अवसरों तथा सामुहिक विवाहों अर्थात् अक्षय तृतीया के अवसर पर विशेष निगरानी, समुदाय के अंदर बाल विवाह रोधी दबाव समूहों को प्रोत्‍साहित करने के लिए विद्यमान स्‍वयं सहायता समूहों तथा विशेष कार्य समितियों का प्रयोग आदि शामिल है। जिला बाल संरक्षण यूनिटों ने यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत जबरन बाल विवाह जो गर्भधारण में परिणत हुए हैं, के विरूद्ध एफआईआर दाखिल कराना शुरू कर दिया है।

\*\*\*\*